राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3398/2021

डॉ. कृष्ण कुमार मौर्य **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, पशु पालन, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, पशु पालन, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2021
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राम बाबू शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2008 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के पश्चात् पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग ने पत्र दिनांक 01.07.2010 (अनुलग्नक–2) द्वारा समस्त संयुक्त निदेशक को पत्र लिखकर राजस्थान पशुधन सेवा नियम में संशोधन 2008 के अनुसार एम.वी.एससी. वेटेनरी योग्यताधारी वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर पात्र होने के कारण सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा अनुलग्नक–4, 5 एवं 7 द्वारा इस संबंध में निदेशक पशुपालन ने विभाग को सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा सेवा में आने के पश्चात् जून, 2008 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से मास्टर ऑफ वेटेनरी साईंस (वेटेनरी पेथेलौजी) की डिग्री प्राप्त की जो, अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर पदोन्नति आदेश दिनांक 16.09.2016 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर क्र. सं. 117 पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 30.09.2016 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) का विकल्प दिया

था। अतः अपीलार्थी को सामान्य शाखा से विशिष्ठ शाखा में पदोन्नति प्रदान की जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में विभाग में पदस्थापित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 25.06.2020 (अनुलग्नक–10) द्वारा जारी की गई, जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति सह अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विशिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु आक्षेप दर्ज किया गया (अनुलग्नक–11)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.02.2021 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी को यथावत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य शाखा की वरिष्ठता सूची में ही रखा। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 16.03.2021 (अनुलग्नक–13) द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक की डीपीसी आयोजित किए जाने हेतु निर्धारित परिपत्र में सभी अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना चाही गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24. 03.2021 (अनुलग्नक–14) द्वारा अपनी सूचना प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज्ञा दिनांक 19.04.2021 (अनुलग्नक–17) द्वारा दिनांक 01. 04.2018 के संदर्भ में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची के नीचे अंकित नोट विलोपित करने का आदेश जारी किया गया। राजस्थान पशु पालन सेवा नियम में संशोधित नियम, 2013 (अनुलग्नक–16), जिसमें संशोधित नियम 4(iii) के प्रावधान के आधार पर वरिष्ठता सूची के नीचे अंकित टिप्पणी को विलोपित किया गया है। वर्ष 2013 के संशोधित नियम को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी किया गया है। उक्त प्रावधान अपीलार्थी के प्रकरण में प्रभावी नहीं होते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर पदोन्नत किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने कभी भी विशिष्ट शाखा हेतु अपना विकल्प नहीं दिया और उसने वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर की गई पदोन्नति को स्वीकार कर लिया है। अपीलार्थी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि राजस्थान पशुपालन संशोधन नियम, 2013 4(iii) में इसकी अनुमति नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान यह भी बताया गया कि विशिष्ठ शाखा हेतु पृथक से कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की जाती है और वर्ष 2004 से विशिष्ठ शाखा के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी की पशु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (कनिष्ठ ग्रेड–3) के पद पर दिनांक 28.02.2008 (अनुलग्नक–1) द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई। अपीलार्थी द्वारा सेवा में आने के पश्चात् जून, 2008 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से मास्टर ऑफ वेटेनरी साईंस (वेटेनरी पेथेलौजी) की डिग्री प्राप्त की और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इसका अपीलार्थी के सेवाभिलेख में अंकन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 01.07.2010 (अनुलग्नक–2) सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र लिखकर राजस्थान पशुधन सेवा नियम में संशोधन 2008 के अनुसार एम.वी.एससी. वेटेनरी योग्यताधारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की सूचना चाही ताकि वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के रिक्त पदों पर वर्ष 2001–02 एवं आगामी वर्षों की डीपीसी राजस्थान पशुधन सेवा नियम संशोधन 2008 के अनुसार की जा सके। अपीलार्थी द्वारा अनुलग्नक–4 (दिनांक 08.08.2010), अनुलग्नक–5 (दिनांक 01.09.2010), एवं अनुलग्नक–7 (दिनांक 06.10.2012), द्वारा इस संबंध में निदेशक पशुपालन विभाग को सूचित किया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर दिनांक 16.09.2016 (अनुलग्नक–8) द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए, जिसमें अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 30.09.2016 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) का विकल्प दिया था। अतः अपीलार्थी को सामान्य शाखा से विशिष्ठ शाखा में पदोन्नति में शामिल किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में विभाग में पदस्थापित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 25.06.2020 (अनुलग्नक–10) द्वारा जारी की गई, जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर विशिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु आक्षेप दर्ज कराया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.02.2021 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य शाखा की वरिष्ठता सूची में यथावत ही रखा। इस वरिष्ठता सूची के नीचे निम्न नोट अंकित किया हैः–

''वर्ष 2011–12 से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ) के पद की लम्बित डीपीसी आयोजित किये जाने के दौरान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ) के पद की योग्यता रखने वाले कार्मिक जो कि पूर्व में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर चयनीत अधिकारियों द्वारा यदि विशिष्ठ अनुभाग हेतु विकल्प दिया जाता है तो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) की प्रभावित होने डीपीसी को रिव्यू किया जायेगा तथा डॉ० पदम चन्द कानखेडिया, से प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।''

प्रत्यर्थी विभाग ने पत्र दिनांक 16.03.2021 (अनुलग्नक–13) द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक की डीपीसी आयोजित किए जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सभी अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना चाही गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.03.2021 (अनुलग्नक–14) द्वारा अपनी सूचना प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज्ञा दिनांक 19.04.2021 (अनुलग्नक–17) द्वारा दिनांक 01.04.2018 के संदर्भ में जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.02.2021 के नीचे अंकित नोट विलोपित करने का आदेश जारी किया गया। राजस्थान पशुपालन सेवा (संशोधन) नियम, 2013 (अनुलग्नक–16), के नियम 4(iii) के आधार पर वरिष्ठता सूची के नीचे अंकित टिप्पणी को विलोपित किया गया है। वर्ष 2013 के संशोधित नियम को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी किया गया है। संशोधित नियम 4 (1)(ii)(iii) निम्नानुसार हैः– ''**No transfer or interchangeability of persons or posts from one section to another section shall be permissible except in junior Gr.-2 posts.**''

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम (संशोधित) 2013 में विशिष्ठ योग्यता रखने वाले वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैः–

1.	सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	पशु चिकित्सा अधिकारी	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु–चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की किसी भी शखा में स्नातकोत्तर डिग्री	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–	–	–	भेड़ और बकारी विकास अधिकारी का पद सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनः पदाभिहित किया जायेगा तथा भेड़ और ऊन विस्तार अधिकारी का पद पशु–चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनः पदाभिहित किया जायेगा।

अपीलार्थी द्वारा विशिष्ठ योग्यता धारित करने के आधार पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर पदोन्नति का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि अपीलार्थी के कभी भी विशिष्ट शाखा हेतु अपना विकल्प नहीं दिया और उसने वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर की गई पदोन्नति को स्वीकार कर लिया है। लिहाजा अब वो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि राजस्थान पशुपालन संशोधन नियम, 2013 के नियम 4 (1)(i)(iii) इसकी अनुमति नहीं देता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान यह भी बताया गया कि विशिष्ठ शाखा हेतु पृथक से कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की जाती है और वर्ष 2004 से विशिष्ठ शाखा के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है। यद्यपि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों/दस्तावेजात व उभय पक्ष के कथन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा लगातार प्रत्यर्थी विभाग को वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर पदोन्नति हेतु निवेदन किया जाता रहा है। उसके बावजूद उसकी पदोन्नति वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई। इस पर भी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपना एतराज प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी की दिनांक 01.04.2018 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची के नीचे विषय का नोट भी अंकित किया गया कि जो वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर चयनित हो गए हैं। यदि वे विशिष्ठ अनुभाग के लिए विकल्प देते है तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालय से दिनांक 16.03.2021 (अनुलग्नक–13) द्वारा चाही गई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान यह अवगत कराया गया कि वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर वर्ष 2011–12 से 2017–18 की डीपीसी आयोजित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जहां तक राजस्थान पशुपालन सेवा (संशोधन) नियम, 2013 के नियम 4(1)(i)(iii) का प्रश्न है कि यह उन प्रकरणों में लागू होता है, जिसमें किसी कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया जा चुका हो एवं फिर परिवर्तन करना चाहता हो, उसकी अनुमति यह नियम नहीं देता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लगातार विशिष्ठ अनुभाग का विकल्प दिया जाता रहा है। लिहाजा अपीलार्थी को विशिष्ठ अनुभाग हेतु संधारित सूचि में शामिल किए जाने में यह नियम बाधक नहीं है। यह भी आश्चर्यजनक है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विशिष्ठ शाखा की लम्बे समय से न तो वरिष्ठता सूचि संधारित की जा रही है एवं न ही उनकी पदोन्नति प्रक्रिया की जा रही है। यह उच्च शिक्षा शाखा एवं विशिष्ठ

योग्यता रखने वाले पशु चिकित्सकों के साथ अन्याय है एवं विभागीय नियमों की भी स्पष्ट अवहेलना है।

समस्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक की डीपीसी की लम्बित कार्यवाही को आदेश की तिथि से तीन माह में पूर्ण किया जावे और अपीलार्थी को भी विशिष्ठ शाखा में शामिल किया जाकर उसकी वरिष्ठता और योग्यताओं के दृष्टिगत उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी (विशिष्ठ शाखा) के पद पर एवं विशिष्ठ शाखा के उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य